(8) राजनीतिक संगठन :→ भारत में इन समितियों में राजनीति कूट-कूट कर भरती कर गयी है। इन समितियों की साधारण सभा तथा संचालक मण्डल की सदस्यता राजनीति के आधार पर ही प्रदान की जाती है। इस प्रकार भारत में सहकारिता एवं राजनीतिक संगठन बन गए।

(9) स्वार्थ परता :- समिति के सदस्य समिति के साथ स्वार्थपूर्ण व्यवहार अपनाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर वे समिति के सदस्य बन जाते हैं और आवश्यकता समाप्त हो जाने पर समिति की सदस्यता छोड़ देते हैं।

(10) नीति में निरन्तर परिवर्तन :- भारत में इन समितियों का समय-समय पर पुनर्गठन किया जाता रहा है। कभी इन्हें बहुउद्देशीय समिति में परिवर्तित कर दिया जाता है तो कभी बड़े आकार की समितियों में। इस प्रकार किसी सुनिश्चित नीति का अभाव इन समितियों की धीमी प्रगति का प्रमुख कारण रहा है।

भारत में प्राथमिक कृषि साख समितियों के समुचित विकास हेतु निम्नलिखित सुझाव :-

(i) साख समितियों के पुनर्गठन एवं नवीनीकरण के लिए अविलम्ब कार्यक्रम बनाये जायें तथा उन्हें क्रियान्वित किया जाये।

(ii) क्षेत्र एवं जनसंख्या सम्बन्धी प्रतिबन्धों में ढिलाई की जाय।

(iii) इन समितियों को छोटे-2 ग्रामीण बैंकों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए।

(iv) समिति के निजी कार्यों को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए।

(v) साख को विधान से शीघ्र से शीघ्र प्रभावी रूप में सम्बन्धित कर देना चाहिए।

(vi) समितियों के निरीक्षण, पर्यवेक्षण व जाँच के लिए समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।

(vii) प्रबन्धकीय कुशलता के लिए प्रत्येक समिति का एक पूर्णकालीन सचिव होना चाहिए।

(viii) महाजनों, व्यापारियों व मध्यस्थों को सहकारी समितियों से अलग रखा जाना चाहिए।

(ix) ऋण देने में विलम्ब न किया जाय।

(x) समितियों का विकास सन्तुलित ढंग से किया जाय।

(xi) सहकारी शिक्षा का प्रसार किया जाय।

Scanned with CamScanner

(1) Q.→ भारत में प्राथमिक कृषि साख समितियों की धीमी प्रगति के कारणों पर प्रकाश डालिये। प्राथमिक कृषि साख समितियों के समुचित विकास हेतु आवश्यक सुझाव दीजिए।

Ans: यद्यपि, भारत में प्राथमिक कृषि साख समितियों ने काफी प्रगति की है तथापि इनकी प्रगति की दर काफी धीमी रही है। इन समितियों की धीमी प्रगति के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं —

1. अशिक्षित सदस्य :- ये समितियाँ क्योंकि गाँव स्तर पर गठित की जाती हैं और गाँव में अधिकांश व्यक्ति अशिक्षित होते हैं अतः वो सहकारिता के ज्ञान नहीं रख पाते। समिति के अशिक्षित सदस्य होने से समितियों के प्रबन्ध में भी कठिनाई रहती है।

(2) वित्तीय साधनों का अभाव :- इन समितियों के पास पूँजी का अभाव है जिसकी वजह से ये समितियाँ समस्त प्रार्थना पत्रों पर ऋण स्वीकार नहीं कर सकती हैं।

(3) कुशल कर्मचारियों का अभाव :- इन समितियों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। फलतः ये समितियाँ सुयोग्य, कुशल एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों को रखने में असमर्थ रहती हैं जिससे प्रबन्ध में बड़ी कठिनाई होती है।

(4) अनार्थिकता और निष्क्रियता :- सर्वेक्षण द्वारा यह देखा गया है कि भारत में लगभग 40% कृषि साख समितियाँ हानि एवं लाभ की स्थिति पर कार्य करती हैं। इससे भी अधिक कुल कृषि साख समितियों में से लगभग 12% समितियाँ तो ठप ही पड़ी रहती हैं।

(5) दोषपूर्ण ऋण नीति :- ये समितियाँ अपने सदस्यों को पर्याप्त मात्रा में ऋण प्रदान नहीं कर पाती जिससे उन्हें महाजनों के चंगुल में फँसने को विवश होना पड़ता है।

(6) छोटे किसानों की उपेक्षा :→ इन समितियों ने छोटे कृषकों को पर्याप्त सहायता नहीं दी है। ग्रामीण साख समीक्षा समिति के अनुसार - "हमारे द्वारा किये गये अनुसंधानों और अन्य स्रोतों से यह पता चलता है कि किसानों के कमजोर वर्गों को सहकारी साख का एक अति सीमित भाग ही मिल रहा है।"

(7) सरकारी हस्तक्षेप :→ इन समितियों के प्रबन्ध एवं संचालन में अत्याधिक सरकारी हस्तक्षेप व्याप्त है। फलतः सदस्य इनके प्रबन्ध में कोई विशेष रुचि नहीं लेते।

Scanned with CamScanner